सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2024 / 120 दर्ज तिथिः—15.03.2024

1. इन्द्रा पत्नी जैसाराम
   जाति रबारी निवासी जीवाणियों की ढाणी बारासण तहसील गुडामालानी

.....वादी

बनाम

1. किशनाराम पुत्र करनाराम
2. रूगनाथराम पुत्र करनाराम
3. तुलछी पत्नी करनाराम
4. जगदीश पुत्र हीराराम
5. धोली पुत्री हीराराम
6. झमकू देवी पत्नी हीराराम
   जातियान विश्नोई निवासी बारासण तहसील गुडामालानी
7. नवलाराम पुत्र सुजाराम
8. रामाराम पुत्र सूजाराम
9. बाबू पुत्र लाखाराम
10. भागीरथराम पुत्र लाखाराम
    जातियान विश्नोई निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखडा
11. भारमल पुत्र वरींगा
12. मोहन पुत्र वरींगा
13. शंकरा पुत्र वरींगा
14. मालाराम पुत्र चोखाराम
15. हनुमानराम पुत्र शोभाराम
16. हरीराम पुत्र रिडमलराम
    जातियान विश्नोई निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

17. तहसीलदार गुढामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः— श्री रामजीवन विश्नोई।
प्रतिवादीगणः— एकतरफा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 11:59:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 30.08.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 612 / 19.8458 है0 वाके ग्राम बारासण तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन—वकालतन उपस्थित हुए। वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित राजीनामा पेश कर माफिक हक हिस्सा भूमि की गुडवत्ता एवं आवागमन की सुविधा एवं वर्तमान कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 11:59:32 IST
Reason: SelfAttested

की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2024/1827 दिनांक 06.08.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार प्रेषित मौका कुर्रेजात रिपोर्ट तथा प्रकरण में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 12.07.2024 को तहसीलदार गुडामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक/2024/708—722 दिनांक 01.07.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.07.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक/2024/708—722 दिनांक 01.07.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.07.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 11:59:32 IST
Reason: SelfAttested

पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 612 / 19.8458 है0 वाके ग्राम बारासण तहसील गुडामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह— काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलनः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 11:59:32 IST
Reason: SelfAttested

पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षतिः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 612 / 19.8458 है0 वाके ग्राम बारासण तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 11:59:32 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
इन्द्रा पत्नी जैसाराम जाति रबारी साकिन जीवाणियों की ढाणी खातेदार	पूर्ण	612	0.3237	बा.दो.
किशनाराम पुत्र करनाराम	9518 / 195221	612	19.5221	बा.दो.
जगदीश पुत्र हीराराम	12272 / 195221			
झमू देवी पत्नी हीराराम	4091 / 195221			
तुलसी पत्नी करनाराम	9923 / 195221			
धोली पुत्री हीराराम	4091 / 195221			
नवलाराम पुत्र सूजाराम	14581 / 195221			
बाबूलाल पुत्र लाखाराम	21570 / 195221			
भागीरथ पुत्र लाखाराम	24807 / 195221			
भारमल पुत्र वरींगा	9923 / 195221			
मालाराम पुत्र चोखाराम	405 / 195221			
मोहन पुत्र वरींगा	9923 / 195221			
रूगनाथराम पुत्र करनाराम	9923 / 195221			
रामाराम पुत्र सूजाराम	14581 / 195221			
शंकरा पुत्र वरींगा	9923 / 195221			
हनुमानराम पुत्र शोभाराम	19845 / 195221			
हरीराम पुत्र रिडमलराम	19845 / 195221			

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 11:59:32 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 11:59:32 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2024 / 120 दर्ज तिथिः—15.03.2024

1. इन्द्रा पत्नी जैसाराम
   जाति रबारी निवासी जीवाणियों की ढाणी बारासण तहसील गुडामालानी

.....वादी

बनाम

1. किशनाराम पुत्र करनाराम
2. रूगनाथराम पुत्र करनाराम
3. तुलछी पत्नी करनाराम
4. जगदीश पुत्र हीराराम
5. धोली पुत्री हीराराम
6. झमकू देवी पत्नी हीराराम जातियान विश्नोई निवासी बारासण तहसील गुडामालानी
7. नवलाराम पुत्र सुजाराम
8. रामाराम पुत्र सूजाराम
9. बाबू पुत्र लाखाराम
10. भागीरथराम पुत्र लाखाराम जातियान विश्नोई निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखडा
11. भारमल पुत्र वरींगा
12. मोहन पुत्र वरींगा
13. शंकरा पुत्र वरींगा
14. मालाराम पुत्र चोखाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 11:59:32 IST
Reason: SelfAttested

15. हनुमानराम पुत्र शोभाराम

16. हरीराम पुत्र रिडमलराम जातियान विश्नोई निवासी बारासण

.....असल प्रतिवादीगण

17. तहसीलदार गुढामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगणः— श्री रामजीवन विश्नोई।
प्रतिवादीगणः— एकतरफा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 612 / 19.8458 है0 वाके ग्राम बारासण तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
इन्द्रा पत्नी जैसाराम जाति रबारी साकिन जीवाणियों की ढाणी खातेदार	पूर्ण	612	0.3237	बा.दो.
किशनाराम पुत्र करनाराम	9518 / 195221	612	19.5221	बा.दो.
जगदीश पुत्र हीराराम	12272 / 195221			

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 11:59:32 IST
Reason: SelfAttested

झमू देवी पत्नी हीराराम	4091 / 195221			
तुलसी पत्नी करनाराम	9923 / 195221			
धोली पुत्री हीराराम	4091 / 195221			
नवलाराम पुत्र सूजाराम	14581 / 195221			
बाबूलाल पुत्र लाखाराम	21570 / 195221			
भागीरथ पुत्र लाखाराम	24807 / 195221			
भारमल पुत्र वरींगा	9923 / 195221			
मालाराम पुत्र चोखाराम	405 / 195221			
मोहन पुत्र वरींगा	9923 / 195221			
रूगनाथराम पुत्र करनाराम	9923 / 195221			
रामाराम पुत्र सूजाराम	14581 / 195221			
शंकरा पुत्र वरींगा	9923 / 195221			
हनुमानराम पुत्र शोभाराम	19845 / 195221			
हरीराम पुत्र रिडमलराम	19845 / 195221			

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले। नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 11:59:32 IST
Reason: SelfAttested